



Ministry of Coal

Foreign Direct Investment in Commercial Coal Mining in India

Posted On: 03 AUG 2020 4:44PM by PIB Delhi

This is with reference to the ongoing auction process of coal mines for commercial coal mining in India, which was launched by the Nominated Authority, Ministry of Coal, Government of India in June, 2020. Foreign Direct Investment (FDI) Policy, 2017 was amended vide the Press Note 4 of 2019, issued by the Central Government, to permit 100% FDI under automatic route in coal mining activities including associated processing infrastructure, for sale of coal, subject to the provisions of Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 as amended from time to time and other relevant Acts on the subject.

Accordingly, it was stated in the tender document that “The Press Note 4 of 2019, issued by the Central Government, amended FDI Policy 2017, to permit 100% FDI under automatic route in coal mining activities, including associated processing infrastructure subject to the Act and other Applicable Laws, for sale of coal.” It is further clarified that any FDI in the commercial coal mining is subject to Applicable Laws including the Press Note 3 of 2020 issued by the Central Government according to which “an entity of a country, which shares land border with India or where the beneficial owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country, can invest only under the Government route. Further, a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan can invest, only under the Government route, in sectors/activities other than defence, space, atomic energy and sectors/activities prohibited for foreign investment.”. A corrigendum to the tender document has also been issued in this regard.

RJ/NG

(Release ID: 1643176) Visitor Counter : 2050

Read this release in: Hindi , Marathi , Manipuri , Punjabi , Odia , Tamil , Telugu , Kannada

कोयला मंत्रालय

भारत में व्यावसायिक कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

प्रविष्टि तिथि: 03 AUG 2020 4:44PM by PIB Delhi

यह भारत में व्यावसायिक कोयला खनन का लिए चल रही कोयला खदानों की मौजूदा नीलामी प्रक्रिया का सदर्भ में है जिसका जून 2020 में भारत सरकार का कोयला मंत्रालय का मनोनीत प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति, 2017 में सशोधन किया गया था, इसका लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी 2019 का प्रस्ताव नोट 4 दखें, ताकि कोयला की बिक्री और सहयोगी प्रसंकरण बुनियादी ढांचा सहित कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग स 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जा सका। य समय-समय पर सशोधित कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 का प्रावधानों और खान एव खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों का अधीन है।

इसका अनुसार निविदा दस्तावेज में य कहा गया था कि “केंद्र सरकार द्वारा जारी 2019 का प्रस्ताव नोट 4 द्वारा एफडीआई नीति 2017 में सशोधन किया गया ताकि कोयला की बिक्री का लिए, इस अधिनियम और अन्य लागू कानूनों का अधीन सशोधित प्रसंकरण बुनियादी ढांचा सहित कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग स 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी जा सका।” आगलहभीसुष्ट किया गया है कि व्यावसायिक कोयला खनन में कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, केंद्र सरकार द्वारा जारी 2020 का प्रस्ताव नोट 3 समस्त लागू कानूनों का अधीन है जिसका अनुसार “किसी दशा की एक इकाई, जो भारत का साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में किसी निवेश का एक लाभकारी स्वामी, ऐस किसी भी दशा में बसा हुआ है या वहां का नागरिक है, वो कवल सरकारी मार्ग का तहत ही निवेश कर सकता है। इसका अलावा पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में शामिल कोई इकाई सरकारी मार्ग का तहत रक्षा, अक्षरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और विदेशी निवेश का लिए निषिद्ध क्षेत्रों/गतिविधियों का अलावा ही अन्य गतिविधियों में निवेश कर सकत हैं।” इस सशोधन में निविदा दस्तावेज को एक शुद्धि भी जारी किया गया है।

एसजी/एएम/जीबी/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 1643285) आगंतुक पटल : 44

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Marathi , Manipuri , Punjabi , Odia , Tamil , Telugu , Kannada